

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 10-17/2022/29-1,
 प्रति,

अटल नगर, दिनांक 07 नवम्बर, 2022


- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर। | 02 | सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर। |
| 03 | सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यकर विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर। | 04 | महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक
अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
रायपुर |
| 05 | संचालक,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) | 06 | रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ |
| 07 | महाप्रबंधक,
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
रायपुर। | | |

विषय:-प्रत्यक्ष विक्री के अंतर्गत भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना दिनांक 28.12.2021 दिनांक 21.01.2022 के संबंध में।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 9-50/2022/1/5 दिनांक 18.10.2022

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा प्रत्यक्ष विक्री ईकाई एवं प्रत्यक्ष विक्रेताओं के निगरानी के क्रियान्वयन हेतु निगरानी/पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 (अमितोष जॉन)

अवर सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन,
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ. क्रमांक एफ 10-17/2022/29-1,
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 01 नवम्बर, 2022

- 01 अपरमुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 02 निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
- 03 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर कि ओर आदेश दिनांक 18.10.2022 की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर


-:: आदेश ::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /8/10/2022

क्रमांक एफ 9-50/2022/1/5 :: राज्य शासन एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 की उपधारा-2 के खण्ड (यछ) के सहपठित धारा-94 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.12.2021 उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के कंडिका क्रमांक-11 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री ईकाई एवं प्रत्यक्ष विक्रेताओं के निगरानी के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निगरानी/पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :-

1.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अध्यक्ष
2.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, उद्योग विभाग/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, वाणिज्यकर विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो	सदस्य
6.	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय	सदस्य संयोजक
7.	रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	सदस्य
8.	खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नामांकित उद्योग संघ एवं उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अंशिका ऋषि पाण्डेय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर.....2

पृ.क एफ 9-50/2022/1/5,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक/8/10/2022

प्रतिलिपि : -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
2. सचिव. छ.ग.शासन, खाद्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. समिति के सदस्यगण
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग